बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–अ०सां०नि० / स्था०17–01 / 2026 112 / पटना, दिनांकः 15/06/26

**कार्यालय आदेश**

श्री अजय कुमार, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, पकड़ीदयाल सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, गोपालगंज के विरूद्ध परियोजना पदाधिकारी–सह–अपर निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग का पत्रांक–602 दिनांक–18.02.2026 द्वारा आरोप पत्र अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के उपलब्ध कराया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोप पत्र के द्वितीय भाग– अवचार या कदाचार के लांछनों का सार एवं तृतीय भाग–अवचार के लांछनों का अभिकथन में श्री राजेश कुमार जयसवाल, नगर पंचायत, पकड़ीदयाल द्वारा श्री अजय कुमार, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, पकड़ीदयाल सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, गोपालगंज के विरूद्ध 15 योजनाओं / कार्यों का गैर कानूनी रूप से विभागीय टेंडर कुछ चहेते संवेदकों से कराकर वित्तीय अनियमितता करने तथा जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक–35 दिनांक–01.11.2024 द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पकड़ीदयाल की अध्यक्षता में जाँच कराते हुए जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा 15 गैर महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्यान्वयन में टेंडर प्रक्रिया का अनुपालन नहीं कर वित्तीय अनियमितता करने से संबंधित आरोप प्रतिवेदित किया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 एवं 19 में किये गये प्रावधान के तहत निदेशालय का पत्रांक–570 दिनांक–06.04.2026 द्वारा आरोप पत्र पर आरोपी कर्मी से अभ्यावेदन / अभिकथन की मांग की गयी। श्री अजय कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन / अभिकथन में योजनाओं का कार्यान्वयन विभागीय पत्रों के आलोक में नगर पंचायत, पकड़ीदयाल के समान्य बोर्ड की बैठकों एवं सशक्त स्थायी समिति की बैठकों में लिये गये निर्णय के आलोक में करायी गयी है एवं सभी योजनाओं के विरूद्ध भुगतान भौतिक रूप से कराते हुए तकनीकी पदाधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये मापीपुस्त एवं स्थल सत्यापन के उपरांत किया गया है। साथ ही जाँच में पाये गये त्रुटियों को भी तकनीकी पदाधिकारियों द्वारा निराकरण कर अनुपालन प्रतिवेदन भी नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा गया है का उल्लेख करते हुए आरोप मुक्त किये जाने का अनुरोध किया है।

ज्ञातव्य हो कि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय आदेश सं०–4322 दिनांक–24.08.2023 के आदेश से विदित होता है कि नगर निकायों के स्तर से कार्यान्वित की जाने वाली सभी योजनाऐं जिनकी लागत 15.00 लाख (पंद्रह लाख) रूपये मात्र या उससे अधिक की हो, का कार्यान्वयन निविदा के माध्यम से ही कराया जायेगा। चूँकि नगर पंचायत, पकड़ीदयाल में सभी 15 योजनाऐं छोटी–छोटी है अर्थात् 15.00 लाख से कम की है इसलिए निविदा संपादन न कराकर नगर पंचायत पकड़ीदयाल के सामान्य बोर्ड की बैठकों एवं सशक्त स्थायी समिति की बैठकों में लिये गये निर्णय के आलोक में करायी गयी है।

वर्णित तथ्यों के आलोक में उनपर लगाये गये आरोप एवं उसपर उनसे प्राप्त अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा करने के उपरांत यह प्रतीत होता है कि श्री कुमार द्वारा कुछ योजनाओं में जो त्रुटि पायी गयी है उसे तत्कालीन कार्यपालक

अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता द्वारा सूधार/मरम्मत करा दिया गया है जिसका **GPS** फोटो संलग्न है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि योजनाओं का सतत् निरीक्षण में श्री अजय कुमार द्वारा लापरवाही बरती गई है।

अतएव श्री अजय कुमार, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, पकड़ीदयाल सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, गोपालगंज को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के तहत एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–
(रणजीत कुमार)
निदेशक

ज्ञापांकः– अ०सां०नि०/स्था०17–01/2026 973 /पटना, दिनांकः 15/06/26

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. परियोजना पदाधिकारी–सह–अपर निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
5. श्री अजय कुमार, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, पकड़ीदयाल सम्प्रति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/6/26

निदेशक